न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 58 / 2018

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. रणजीतसिंह यादव पुत्र बोदनराम जाति यादव निवासी नई ढाणी बासकी, साथलपुर, बानसूर अलवर (मैसर्स गोधाम सेड़वा पन्चागव्य उत्पाद प्राईवेट लिमिटेड सेड़वा का मैनेजर)
2. लालाराम चौधरी पुत्र चेलाराम चौधरी, ग्राम भोडा की ढाणी, पथमेड़ा, हाडेतर जिला जालोर (मैसर्स गोधाम पन्चागव्य उत्पाद प्राईवेट लिमिटेड सेड़वा जिला बाड़मेर का डायरेक्टर)
3. लीला देवी (मैसर्स गोधाम पन्चागव्य उत्पाद प्राईवेट लिमिटेड सेड़वा जिला बाड़मेर का डायरेक्टर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 11.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(i) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 24.02.2018 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स गोधाम पन्चगव्य उत्पाद प्राईवेट लिमिटेड सेड़वा का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु अप्रार्थी द्वारा अपने

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कब्जे में रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** जो कि एक कंटेनर में 15 कि.ग्रा. भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 कि.ग्रा. दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–884** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना **अवमानक (Sub-statndard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की सेड़वा में प्रतिष्ठित फर्म व दुकान हैं जहां से पहले भी कई बार नमूने लिये गये है जो शुद्ध एवं गुणवता युक्त पाये गये हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की फर्म से जो नमूना लिया गया हैं वह किसी स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में नहीं लिया हैं तथा जो नमूना लिया गया हैं उसे दूध मिक्स बताया हैं जबकि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर केवल गाय के दूध का ही नमूना लिया गया था। उक्त नमूना की खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आई हैं उसमें मिल्क फैट कन्टेन्ट जो न्यूनतम 4.5 होना लिखा हैं वह दूध मिक्स का हैं जबकि गाय के दूध का मिल्क फैट कन्टेन्ट न्यूनतम 3.2 होना चाहिए, जिसके अनुसार रिपोर्ट में 4.00 आया है, अर्थात अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिया गया नमूना शुद्धता की मानक श्रेणी में आता है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला से दूध में मिल्क फैट की माईनर त्रुटि के कारण अवमानक होना मानते हुए यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं जो आधारहीन होने खारिज योग्य हैं।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 22.03.2018 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई हैं। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब में प्रकट किया गया हैं कि उसकी फर्म से जो नमूना लिया गया था वह दूध मिक्स नहीं होकर गाय का दूध था जबकि नमूना लिये जाने की फर्द मौका पर अप्रार्थी सं. 1 स्वंय ने हस्ताक्षर अंकित किये हैं तथा इसमे दूध मिक्स होना अंकित किया हैं, ऐसे में अब इस स्तर पर नया तथ्य प्रकट किया गया है वह कतई स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। अप्रार्थीगण की फर्म से अप्रार्थी सं. 1 की मौजूदगी में उसके द्वारा खाद्य पदार्थ का जो विवरण बताया गया है वह उल्लेखित करते हुए नमूना जांच हेतु भिजवाया गया हैं। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस जवाब नही है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर रूपये 10000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर